

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266282
CG-DL-E-22092025-266282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 617]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 701(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, आशुलिपिक श्रेणी-1, निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सचिव, श्रेणी "ख" भर्ती नियम, 2017 को, जहाँ तक उनका संबंध निजी सचिव के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में निजी सचिव, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (निजी सचिव, श्रेणी "ख" पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
निजी सचिव	*06 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु.44900-142400)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, और; पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।	
(11)	
प्रोन्नति द्वारा : आशुलिपिक श्रेणी-I, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रु.35400-112400) में उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा : केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे आशुलिपिक :- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(रु.35400-112400) या समतुल्य में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. सदस्य सचिव, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठतम निदेशक या संयुक्त निदेशक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग - सदस्य; 3. अवर सचिव, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी (स्था.) अनुभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग- सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4-3/2024-25 प्रशा. सीएसीपी]

पेरिन देवी, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

G.S.R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Commission for Agricultural Costs and Prices, Stenographer Grade-I, Private Secretary and Senior Private Secretary Group 'B', Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Private Secretary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Commission for Agricultural Costs and Prices in the Department of Agriculture and Farmers Welfare of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Commission for Agricultural Costs and Prices, (Private Secretary, Group 'B' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of said posts, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification .	Level in Pay Matrix	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Private Secretary .	06* (2025) * Subject to variation dependent on workload .	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level 7 (Rs.44900 -142400/-).	Selection post.	Not applicable .	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Fifty percent by promotion failing which deputation; and Fifty percent by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

By promotion:

Stenographer Grade-I in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by the competent authority.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers holding the post of Stenographer under the Central Government:

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on Deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consist of : 1. Member Secretary, Commission for Agricultural Costs and Prices – Chairman; 2. Senior most Director or Joint Director in the Commission for Agricultural Costs and Prices – Member; 3. Under Secretary, Economics and Statistics (Estt.) Section, Department of Agriculture and Farmers Welfare – Member; 4. Deputy Director (Administration) or Administrative Officer, Commission for Agricultural Costs and Prices – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 4-3/2024-25 Admn. CACP]

PERIN DEVI, Jt. Secy. (Admn)